

प्रारूप- 4

// (राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों को धारा 2 के अन्तर्गत पूर्व मंजूरी लेने का प्रारूप) //

(1)	परियोजना ब्यौरे											
	1— उन प्रस्तावों तथा परियोजना /स्कीम का संक्षिप्त वर्णन, जिसके लिये वन भूमि अपेक्षित है।	: छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के अंतर्गत प्रस्तावित उन्नयन एवं चौड़ीकरण सुकमा—जगदलपुर—कोंटा मार्ग कि०मी० 25.530 से 31.540 कुल लम्बाई 6.010कि०मी० निर्माण हेतु वन परिक्षेत्र कोटमसर अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि रकबा 8.386हे० क्षेत्र की न्यूनतम मांग है।										
	2— अपेक्षित वन क्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है, जो उप वनसंरक्षक की श्रेणी से कम श्रेणी का अधिकारी नहीं हो।	विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है <table><tr><td>क्र.</td><td>निदेशक कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान</td><td>परिक्षेत्र</td><td>वन खण्ड / कक्ष क० ख०क०</td><td>प्रस्तावित क्षेत्र का रकबा (हे० में)</td></tr><tr><td>1</td><td>जगलपुर</td><td>कोटमसर</td><td>89,90,164,165</td><td>8.386 हे०</td></tr></table>	क्र.	निदेशक कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	परिक्षेत्र	वन खण्ड / कक्ष क० ख०क०	प्रस्तावित क्षेत्र का रकबा (हे० में)	1	जगलपुर	कोटमसर	89,90,164,165	8.386 हे०
क्र.	निदेशक कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	परिक्षेत्र	वन खण्ड / कक्ष क० ख०क०	प्रस्तावित क्षेत्र का रकबा (हे० में)								
1	जगलपुर	कोटमसर	89,90,164,165	8.386 हे०								
	3— परियोजना की कुल लागत	लगभग — 15.99 करोड़										
	4— परियोजना को वन क्षेत्र में लगाने का औचित्य तथा इसके लिये जिन वैकल्पिक स्थानों की जांच की गई, उनको दर्शाते हुए और उनको मंजूर करने के कारण	: राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण।										
	5— वित्तीय तथा सामाजिक लाभ	: राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि०मी० 25.530 से 31.540 कुल लं० 6.010 कि०मी० का उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य करने से आवागमन हेतु उचित व्यवस्था होगी।										

	6- कुल लाभान्वित होने वाली आबादी	:	—				
	7- सुनिश्चित रोजगार	:	—				
(2)	परियोजना स्कीम का स्थान		ग्राम — कामानार, कोटमसर।				
	1- राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेश	:	छत्तीसगढ़ राज्य				
	2- जिला	:	बस्तर				
	3- वन मण्डल/ वनखण्ड/ कम्पार्टमेंट	:	क्र.	निदेशक कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	परिक्षेत्र	वन खण्ड/ कक्ष क्र0 ख0क्र0	प्रस्तावित क्षेत्र का रकबा (हे0 में)
			1	जगदलपुर	कोटमसर	89,90,164,165	8.386 हे0
			कुल				8.386 हे0
(3)	मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना / स्कीम के लिये कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा	:	मदवार ब्यौरा संलग्न है।				
(4)	शामिल वन भूमि का ब्यौरा	:	ब्यौरा संलग्न है।				
	1- वन की वैधानिक स्थिति (नामत: आरक्षित / संरक्षित/ वर्गीकृत आदि)	:	आरक्षित वन भूमि ।				
	2- क्षेत्र में मौजूद वनस्पतिजात और प्राणिजात का ब्यौरा	:	निरंक।				
	3- वनस्पति की सघनता	:	घनत्व 0.5 से 0.6 ।				
	4- वृक्षों की प्रजाति तथा श्रेणीवार सार	:	संलग्न है।				
	5- भूमि कटाव के लिये वन क्षेत्र का महत्व क्या गंभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा (भाग) है अथवा नहीं	:	नहीं।				

	6- क्या यह राष्ट्रीय उद्यान/ वन्य जीव अभ्यारण/प्रकृति आरक्षित जीव मण्डल रिजर्व आदि का एक हिस्सा (भाग) है यदि हाँ तो शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें (मुख्य वन जीव वार्डन की विशिष्ट	: कागेर राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के पार्क परिक्षेत्र अंतर्गत आरक्षित वन क्षेत्र है ।
	7- विभिन्न परियोजना के लिये परियोजना/स्कीम के लिये अपेक्षित वन भूमि	: संलग्न है।
	8- क्षेत्र में पायी जाने वाली दुर्लभ/संकटापन्न वनस्पतियों व प्राणीजातों की प्रजाति	: निरंक ।
	9- क्या यह एक प्रवासीय जीव जन्तुओं के लिये एक वास स्थल है या उसके लिये प्रजनन भूमि का एक भाग है।	: नहीं ।
	10- प्रस्ताव के संभव क्षेत्र का कोई अन्य महत्व	: नहीं ।
(5)	परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा	: निरंक ।
	1- विस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या	: निरंक ।
	2- विस्थापित होने वाले अ.जा /अ.ज.जा. के परिवारों की संख्या	: निरंक ।
(6)	क्षतिपूरक वन स्कीम का ब्यौरा	
	1- क्षतिपूरक वन रोपण के लिये पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र, अवक्रमित वनक्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी हिस्सों की संख्या, प्रत्येक हिस्से का	: आवश्यक नहीं है।

	2- क्षतिपूरक वनरोपण के लिये पहचान किये गये गैर वनक्षेत्र/ अवक्रमित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वनसीमाओं को दर्शानेवाले मानचित्र	:	—
	3- रोपण किये जाने वाली प्रजातियों कार्यान्वयन एजेन्सी, समयसूची, लागत ढाँचा आदि सहित विस्तृत	:	—
	4- क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	:	—
	5- वन रोपण के लिये क्षतिपूरक वन रोपण हेतु पहचान किये गये क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंध की दृष्टि से सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जावें जो कि उपवन संरक्षक की नीचे श्रेणी की नीचे का	:	—
	6- क्षतिपूरक वनरोपण के लिये वनोत्तर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र	:	—
(7)	ट्रांसमिशन लाइन के बारे में ब्यौरा (केवल ट्रांसमिशन लाइन के प्रस्ताव के लिये)		
	अ- ट्रांसमिशन लाइन की कुल लम्बाई	:	निरंक ।
	ब- वनक्षेत्र से होकर गुजरने वाली लाइन की लम्बाई	:	निरंक ।
	स- मार्ग का अधिकार	:	निरंक ।
	द- निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या	:	निरंक ।
	ई- वन क्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या	:	निरंक ।

	फ- ट्रांसमिशन टावरों की ऊँचाई	: निरंक ।
(8)	सिंचाई/ वन विद्युत परियोजना (केवल सिंचाई वन विद्युत परियोजना के लिये)	
	1- कुल आवाह क्षेत्र	: नहीं ।
	2- कुल कमाण्ड क्षेत्र	: नहीं ।
	3- कुल जलाशय स्तर	: नहीं ।
	4- उच्च बाढ़ स्तर	: नहीं ।
	5- न्यूनतम प्राप्ति स्तर	: नहीं ।
	6- परियोजना के आवाह क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा (वन भूमि/ कृषि की गई भूमि / चारागाह भूमि/ मानव आबादी तथा अन्य)	: नहीं ।
	7- उच्च बाढ़ स्तर जल मग्न क्षेत्र	: नहीं ।
	8- पूर्ण जलाशय स्तर पर जलमग्न क्षेत्र	: नहीं ।
	9- पूर्ण जलाशय स्तर से दो मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र	: नहीं ।
	10- पूर्ण जलाशय स्तर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र (केवल मंझाले व बड़े परियोजनाओं के लिये)	: नहीं ।
	11- न्यूनतम निकासी स्तर से जलग्रहण क्षेत्र	: नहीं ।
	12- विस्तृत आवाह क्षेत्र सुधार योजना	: नहीं ।
	13- कुल वित्तीय परिव्यय क्षेत्र सुधार योजना के लिये निधियों की उपलब्धता के बारे में	: नहीं ।
(9)	सड़क/रेलवे लाइनों के प्रस्ताव के लिये	
	1- पट्टी की अपेक्षित लंबाई/ चौड़ाई एवं वनक्षेत्र	: नहीं ।
	2- सड़क की कुल लंबाई	: नहीं ।

	3- पहले बनाई जा चुकी सड़क की कुल	:	नहीं ।
(10)	खनन प्रस्तावों के संबंध में ब्यौरा. (केवल खनन प्रस्तावों के लिये)	:	—
	1- कुल खनन पट्टा क्षेत्र और अपेक्षित वनक्षेत्र	:	
	2- प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि	:	
	3- वनक्षेत्र और गैर वनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/कच्चे धातु का अनुमानित भंडार	:	नहीं ।
	4- खनिज/कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन	:	नहीं ।
	5- खनन कार्य की किस्म (खुली खदान/भूमिगत)	:	
	6- चरणबद्ध सुधार योजना	:	नहीं ।
	7- जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया जावेगा उसका प्लान	:	
	8- पट्टा संलेख की प्रति संलग्न किया जाये।	:	नहीं ।
	9- नियुक्त किये जाने वाले श्रमिकों की संख्या	:	
	10- निम्नलिखित के लिये अपेक्षित भूमि का क्षेत्रफल	:	नहीं ।
	क- उत्खनन.	:	
	ख- खनिज/कच्चे धातु का भंडारण	:	आवश्यकता नहीं है।
	ग- अधिभार को जमा करना	:	आवश्यकता नहीं है।
	घ- औजारों एवं मशीनों का भंडारण	:	आवश्यकता नहीं है।
	ड.- भवनों, बिजली घरों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण	:	आवश्यकता नहीं है।
	छ- सड़क/ रेलवे मार्ग/ रज्जु मार्ग का निर्माण	:	आवश्यकता नहीं है।

	ज- नगरीय आवासीय कालोनी	:	
	झ- अपेक्षित वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना	:	
	11- परियोजना के तहत उपर (क) से (झ) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिये वनभूमि मांग की गई है। उनका वनक्षेत्र से बाहर शुरू/ स्थापित न किये जाने के क्या कारण है ?	:	आवश्यकता नहीं है।
	12- खनन और संबंधित गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने वाली संभावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या	:	आवश्यकता नहीं है।
	13- बारहमासी नदियों के मार्गों/ राष्ट्रीय उद्यानों/ अभ्यारणों और जीव मंडल रिजर्वों से खनन की दूरी	:	
	14- पुनः प्रयोग के लिये उपरी सतह मिट्टी (उपरी मृदा) के भंडार की प्रक्रिया	:	
	15- भूमिगत खनन कार्यों में अपेक्षित अवतलन की मात्रा और जल, वन तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव	:	नहीं ।
(11)	लागत लाभ विश्लेषण	:	
(12)	क्या पर्यावरण स्वीकृति अपेक्षित है? (हां/नहीं) यदि हां तो क्या उसके लिये अपेक्षित ब्यौरा प्रस्तुत कर दिये गये है ?	:	नहीं
(13)	क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुये कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो	:	नहीं

	1- शुरू होने वाली तारीख सहित उसके ब्यौरे	:	निरंक
	2- अधिनियम के उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारी	:	निरंक
	3- गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई/ की जा रही कार्यवाही	:	निरंक
	4- क्या अभी भी अधिनियमों का उल्लंघन करते हुये कार्य किया जा रहा है	:	निरंक
(14)	कोई अन्य सूचना		
(15)	संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों/ दस्तावेजों के ब्यौरे	:	1. आवेदक विभाग का मांग पत्र 2. वन क्षेत्र का विवरण 3. सर्वे आफ इंडिया की टोपोशिट 1:50000 स्केल पर (मूल मानचित्र) 4. प्रपत्र 4 एवं भाग -1 में प्रस्ताव 5. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र 6. स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र
(16)	निम्नलिखित पहलुओं के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक, वन विभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार विमर्श		छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के अंतर्गत कक्ष क्र० 89 में से रकबा 2.206 हे० कक्ष क्र० 90 रकबा 2.199 कक्ष क्र० 164 रकबा 1.991 कक्ष क्र० 165 रकबा 1.990 हे० कुल रकबा 8.386 हे० प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्र० 30 कि०मी० 25.530 से 31.540 कुल लं० 6.010 कि०मी० का उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु वन परिक्षेत्र कोटमसर अन्तर्गत वन भूमि रकबा 8.386 हे० क्षेत्र की न्यूनतम मांग है।
	1- इसमें सम्मिलित वनभूमि से इमारती लकड़ी, जलाने की लकड़ी और वन उत्पाद	:	नही
	2- क्या इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी में आत्मनिर्भर है	:	---
	3- निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रभाव	:	---
	क- ग्रामीण आबादी के लिये जलाने के लकड़ी की आपूर्ति	:	

	ख- आदिवासियों और पिछड़े समुदायों के अर्थव्यवस्था और जीविका	
	4- कारणों सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिये मुख्य वन संरक्षक/ वन विभाग के अध्यक्ष की विशिष्ट सिफारिशें	छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के अंतर्गत प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्र० 30 कि०मी० 25.530 से 31.540 कुल लं० 6.010 कि०मी० का उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु वन परिक्षेत्र कोटमसर अन्तर्गत वन भूमि रकबा 8.386 हे० क्षेत्र की न्यूनतम मांग है।


कार्यपालन अभियंता
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग
सुकमा


निदेशक
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
जगदलपुर